

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक: प.7(38)परि/नियम/मु./2011/32 अंगठी

जयपुर, दिनांक: ०५/०४/२०१७

कार्यालय आदेश...०९.../२०१७

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) संख्या 13029/1985 में दिनांक 29, मार्च 2017 को पारित निर्णय में प्रदूषण उत्सर्जक मानक बीएस-III के विक्रय एवं पंजीयन के संबंध में निम्न निर्देश दिये गये हैं:

1. On and from 1st April, 2017 such vehicles that are not BS-IV compliant shall not be sold in India by any manufacturer or dealer, that is to say that such vehicles whether two wheeler, three wheeler, four wheeler or commercial vehicle will not be sold in India by any manufacturer or dealer on and from 1st April, 2017.
2. All the vehicle registering authorities under the Motor Vehicles Act, 1988 are prohibited for registering such vehicles on and from 1st April, 2017 that do not meet BS-IV emissions standard, except on proof that such a vehicle has already been sold on or before 31st March, 2017.

उपरोक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 31 मार्च 2017 के पश्चात् विक्रय किये गये ऐसे वाहन जो प्रदूषण उत्सर्जक मानक बीएस-III के हैं, का पंजीयन दिनांक 01 अप्रैल 2017 से नहीं किया जावें। पंजीयन अधिकारियों/अधिकृत पंजीयन अधिकारियों (वाहन डीलर) द्वारा केवल प्रदूषण उत्सर्जक मानक बीएस-III के उन्हीं वाहनों का पंजीयन किया जावे जिनके पास स्पष्ट प्रमाण हो कि वाहन 31 मार्च 2017 या पहले ही क्रय/विक्रय किया गया है।

उक्त आदेशों की पालना अक्षरशः सुनिश्चित की जाये।

(शैलेन्द्र कुमार अग्रवाल)

प्रमुख शासन सचिव

एवं परिवहन आयुक्त

जयपुर, दिनांक: ०५/०४/१७

क्रमांक: प.7 (38) परि/नियम/मु./2011/32 अंगठी

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त।
3. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण, परिवहन मुख्यालय, जयपुर।
4. समस्त प्रादेशिक/अतिरिक्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
5. श्री संजय सिंघल, सिस्टम इनालिस्ट को विभागीय वेबसाइट पर अप्लोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)